न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35/2019 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा –प्रार्थी	**बनाम**	1. शंकर लाल पिता मोडा धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक .2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा की आ.न. 337 रकबा 0.10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 27.05.1992 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर कब्जा नही होना पाया गया। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुराकी आ.न. 337 रकबा 0.10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 27.05.1992 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर कब्जा नही होना पाया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने भूमि आवंटन पत्रावली सं. 262/92 आंवटन दिनांक 27.05.1992 की फोटो प्रमाणित

प्रति संलग्न की एवं पटवार हल्का सुखपुरा ग्राम बेरीसाल का मौका पर्चा , ग्राम बेरीसाल की जमाबंदी संवत् 2072–2075, ग्राम बेरीसाल की खसरा गिरदावरी संवत् 2072 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम बेरीसाल में अंकित किया हैं कि ग्राम बेरीसाल के आ.न. 337 रकबा 0.10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय मौक पर आराजी नं. 551/337 की राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं हैं एवं मौके पर मूल आराजी नं. 337 में गैर खातेदार का कब्जा भी नहीं हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर श्री शंकरलाल पिता मोडा धाकड निवासी बेरीसाल के नाम आवंटित ग्राम बेरीसाल के आराजी नं. 337 रकबा 0.10 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 27.05.1992 को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम बेरीसाल की आ.न. 337 रकबा 0.10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Bhatt
Date: 2019.11.15 18:39:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: